छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)

Ph.No.-0771-2512121, Website:-www.cghb.gov.in

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

!! आदेश !!

क्रमांक – 35

दिनांक 23/12/2020

विषयः–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के भाड़ाक्रय अनुबंध आधार अंतर्गत भवन आबंटन के ऋण राशि पर भारित ब्याज दर को पुनरीक्षित करने तथा भाड़ाक्रय, स्ववित्तीय एवं एकमुश्त योजना के अंतर्गत आबंटित भवनों पर हितग्राहियों से विलंबित अवधि के ब्याज दर को संशोधित किये जाने के संबंध में।

---000---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 66वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 09.12.2020 के पद संख्या क्रमांक 05 पर पारित संकल्प क्रमांक 1848/05/66/12/2020 के द्वारा संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के भाड़ाक्रय आवासीय योजना अंतर्गत भवन आबंटन के ऋण राशि पर भारित ब्याज दर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय वर्ष अप्रैल माह में निर्धारित दर को आधार मानकर पुनरीक्षित करने तथा भाड़ाक्रय, स्ववित्तीय एवं एकमुश्त योजना के अंतर्गत आबंटित भवनों पर हितग्राहियों से विलंबित अवधि के ब्याज दर में निम्नानुसार संशोधन को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया है :–

क्र.	विषय	ब्याज दर	
		वर्तमान दर	संशोधित दर
1	भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटन पर भारित किये जाने वाले ऋण राशि पर ब्याज दर	10 - 13 %	8.15 %
2	भाड़ाक्रय/स्ववित्तीय/एकमुश्त आधार पर आबंटित किए गए भवनों के बकाया राशि पर भारित किए जाने वाली विलंबित अवधि की ब्याज दर	10 %	8.15 %
3	मण्डल द्वारा निर्धारित समयावधि पर परियोजना पूर्ण नही होने पर निश्चित समयावधि के 6 माह बाद के विलंबित अवधि का हितग्राहियों को मण्डल में जमा राशि पर दिए जाने वाली ब्याज की दर	7.5%	यथावत

अन्य सभी प्रकार की कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटित संपत्तियों हेतु निर्धारित दर जारी आदेश दिनांक से निष्पादित होने वाले भाड़ाक्रय अनुबंधों हेतु प्रभावशील रहेंगी तथा पूर्व के निष्पादित अनुबंधों पर भारित ब्याज दर की वसूली पूर्व निष्पादित अनुबंध अनुसार ही होगी। वसूली निष्पादित अनुबंध के अनुसार ही ब्याज दर भारित किया जायेगा।

क्रमशः–02

स्ववित्तीय एवं एकमुश्त योजनांतर्गत आबंटित संपत्तियों हेतु निर्धारित दर मण्डल के प्रस्तावित/नवीन परियोजनाओं/नवीन आबंटन के साथ पूर्व में आबंटित भवनों हेतु शेष राशि पर जारी दिनांक के पश्चात् प्रभावशील होगा।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला—रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र.2273/आ.आ./सं.प्र.शा./मुख्या/एफ. /20 नवा रायपुर अटल नगर,दिनॉक 23/12/2020

प्रतिलिपिः—

1. स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर आयुक्त,(जे/व्ही/पी), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त—रायपुर/वृत्त—नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर /अंबिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग—01,02,03,04 रायपुर/राजधानी परियोजना संभाग—01,02 नवा रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़ / कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
11. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र—01,02,03,04, रायपुर /राज.परि.रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/ अंबिकापुर /कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्रमशः—03

12. संपदा अधिकारी (प्रभारी), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ
13. प्रभारी, एन.आई.सी., छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ
14. आदेश नस्ती / गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.)